

संख्या 25/16/73-स्वागता (क)

भारत सरकार

कौशल मंडल मंत्रालय

शिक्षण और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 1973

कार्यालय ज्ञान

विषय:- केन्द्रीय विद्यालयों (आवरण, नियम, 1964-विदेशी विद्यार्थियों द्वारा आयोजित कुल मूल्य-परवारी कार्यकारी द्वारा आयोजित प्रहण करना।

यदि कुछ मंत्रालय के कार्यालय ज्ञान संख्या 25/34 (एल) /67-स्वागता (क), दिनांक 22 मई, 1969 (उद्घरण संलग्न) के अनुसूची के अंतर्गत की ओर ध्यानकेंद्रित करने तथा यह कहते का निवेश हुआ है कि एक संस्था यह उठा है कि क्या कि की परवारी कार्यकारी के विभिन्न विदेशी विद्यार्थी द्वारा आयोजित कुल मूल्य की व्यवस्था प्रहण करने के लिये सरकार के अनुसूची प्रहण करती पाठिके। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कुल मूल्य का व्यवस्था करने परवारी कार्यकारी को सरकार के पूर्व अनुसूची के अंतर्गत चाहिए। यदि विदेशी कुल मूल्य की व्यवस्था द्वारा परवारी कार्यकारी को उपाहार के तौर पर प्रहणें यदि प्राप्त करने का एक हो जाता है तो ऐसे उपाहार प्रहण करने को प्रहण केन्द्रीय विद्यालयों (आवरण) नियम, 1964 के नियम 13 के द्वारा निर्दिष्ट होगा।

यदि मंत्रालय आदि के अनुरोध है कि वे सूचना इसे सभी विदेशी विद्यार्थियों की सूचना के लिये।

प्रमाण के लिए अधिकारी
एन.एस. सिंह
अनुभाग-अधिकारी
शिक्षण विभाग सेवा में,

₹ 0/- (एक रुपय)
निदेशक (स्वागता)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सामान्य संख्या के अतिरिक्त प्रतियों भिजाने।
संख्या 25/16/73-स्वागता (क) नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1973

प्रति:
1. भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक।

2. सचिव लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. सचिव सतर्जिता आयोग नई दिल्ली ।
4. सचिव कर्मचारी कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।
5. सचिव लोक सेवा राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
6. लोक सेवा सचिवालय ।
7. राज्य सेवा सचिवालय ।
8. सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव संबन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव अनुसंधान ।
10. सचिव सतर्जिता अधिकारी ।
11. सचिव सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा गृह मंत्रालय के सचिव संबन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की मंत्रालय ।

हठ/- (सचिव कृष्णन)
निदेशक (सावना)

'उद्धरण'

उपहार

विदेशी सभित्तियों/विदेशी विभागों के सदस्यों से उपहारों की अदला-बदली करना उनके विदेशी सामग्री ग्रहण करने के आदेशों, सचिव लोक सेवा आयोग (कारण) नियम, 1964 से संबंधित उपदेशों को ध्यान में रखा जाय और जहाँ आवश्यक हो नियमों के अनुरोध पूर्व अनुमति से लेनी चाहिए । इस बात का भी ध्यान रखना है कि विदेशी मुद्रा विनियमों में भी यह व्यवस्था को छोड़कर इस देश में विदेशी मुद्रा का लाना अवैध होगा ।